न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्याः–114/2015/अन्तर्गत धारा 24 जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959

नसीब कौर पुत्री अरजन सिहं, जाति जटसिख, निवासी चक 2 जीजीआर हाल रामसिहंपुर, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्त्यारआम रघुवीर सिहं पुत्र श्री दर्शन सिहं, जाति जटसिख, निवासी चक 2 जीजीआर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़–

––अपीलांट/प्रार्थीया––

बनाम

1. जगराम पुत्र श्री देवाराम, जाति राजपूत, निवासी चक 2 जीजीआर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
2. गोपाल कौर धर्मपत्नि स्व0 श्री अमरजीत सिहं
3. साधू सिहं पुत्र श्री अमरजीत सिहं
4. आत्म कौर धर्मपत्नि स्व0 श्री दर्शन सिहं
5. मेहर सिहं पुत्र स्व श्री दर्शन सिहं जाति जटसिख, निवासी तलवाड़ाझील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
6. लाल सिहं पुत्र स्व श्री दर्शन सिहं जाति जटसिख, निवासी तलवाड़ाझील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
7. अवतार सिहं पुत्र महेन्द्र सिहं, जाति जटसिख, निवासी तलवाड़ाझील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
8. कृष्णादेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री देवीलाल।
9. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री देवीलाल जाति जाट, साकिन सिलवाला कंला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
10. औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री देवीलाल जाति जाट, साकिन सिलवाला कंला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
11. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री देवीलाल जाति जाट, साकिन सिलवाला कंला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
12. नन्दराम पुत्र देवसी, जाति बावरी, निवासी सिलवालाकंला तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
13. चिमनाराम पुत्र देवसी, जाति बावरी, निवासी सिलवालाकंला तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
14. भूराराम पुत्र देवसी, जाति बावरी, निवासी सिलवालाकंला तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
15. अमीचन्द पुत्र देवसी, जाति बावरी, निवासी सिलवालाकंला तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
16. लालचन्द पुत्र देवसी, जाति बावरी, निवासी सिलवालाकंला तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
17. रामप्यारी पुत्री देवसी धर्मपत्नि देवीलाल, जाति बावरी, साकिन सिलवालाकंला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।
18. दाखां पुत्री देवसी पत्नि काशीराम ¼फौत½

18/1–लालचन्द पुत्र श्री काशीराम जाति बावरी, निवासी नाईवाला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़–

18/2–साहबराम पुत्र श्री काशीराम जाति बावरी, निवासी नाईवाला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़–

18/3–रामकुमार पुत्र श्री काशीराम जाति बावरी, निवासी नाईवाला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़–

18/4–रामप्रताप पुत्र श्री काशीराम जाति बावरी, निवासी नाईवाला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़–

18/5–सुरलीदेवी ¼पुत्री काशीराम½ धर्मपत्नि श्री हेतराम, जाति बावरी, निवासी नाईवाला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़–

18/6–रामेश्वरीदेवी ¼पुत्री काशीराम½ धर्मपत्नि श्री रामलाल, जाति बावरी, निवासी नाईवाला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़–

18/7–भानकीदेवी ¼पुत्री काशीराम½ धर्मपत्नि श्री हजारीराम, जाति बावरी, निवासी पक्कासारना, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

18/8–मायादेवी ¼पुत्री काशीराम½ धर्मपत्नि श्री साहबराम, जाति बावरी, निवासी मिर्जावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर हनुमानगढ़–

19. गंगा पुत्री देवसी पत्नि नारायणराम, जाति बावरी साकिन सिलवाला कंला, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ¼राजस्व½ टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

21. सरजीत कौर पुत्री स्व0 अरजन सिहं, अकवाम जटसिख, निवासी चक 2 जीजीआर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

22. मलकीत कौर पुत्री स्व0 अरजन सिहं, अकवाम जटसिख, निवासी चक 2 जीजीआर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

23. सविन्द्र कौर पुत्रीयां पुत्री स्व0 अरजन सिहं, अकवाम जटसिख, निवासी चक 2 जीजीआर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट/अप्रार्थीगण

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24–08–2015 न्यायालय अपर जिला कलैक्टर ¼जागीर½ हनुमानगढ़, प्रकरण संख्या 9/2002

उपस्थित :–

1. श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता–अपीलाटं
2. श्री खुशप्रीत सिहं–अधिवक्ता–रेस्पोडेंट सं. 5
3. श्री अशोक कुमार बेनीवाल–अधिवक्ता–रेस्पोडेंट सं. 9 से 11
4. श्री के0एस0 खोसा–राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांकः–08.012.2017**

1 अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण सं. 9/2002 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत चक 2 जीजीआर के पत्थर नम्बर–216/293 किला नम्बर–22, पत्थर नम्बर–216/294 किला नम्बर–2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, पत्थर नम्बर–217/294 किला नम्बर–20, पत्थर नम्बर–216/295 किला नम्बर–2 ता 4, 8, 13 कुल 6.831 हैक्टेयर रकबाराज घोषित की जाकर तहसीलदार

टिब्बी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को रकबाराज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार जाने के आदेश पारित किये है।

2 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता स्व0 श्री अरजन सिहं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 9/22 राजस्थान जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि रोही मौजा सिलवाला कंला तहसील टिब्बी के संयुक्त खाता केसर सिहं आदि के राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा स्व0 श्री ज्वाला सिहं पुत्र श्री बूड़ सिहं सहबिस्वेदार हकदार दर्ज था जो हक दादा व पिता की मृत्यु के बाद वादी को न्यागत हुआ। इस भूमि पर राजस्थान जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मुलन अधिनियम सन् 1959 के प्रभावशील होने से पूर्व व इस अधिनियम के लागू होने के दिवस वह काबिज था तथा उसके कब्जा काश्त की भूमि चक 2 जीजीआर के पत्थर नम्बर–216/293 ड्ड28य किला नम्बर–22, पत्थर नम्बर–216/294 ड्ड37य किला नम्बर–2 से 25, पत्थर नम्बर–216/295 ड्ड46य किला नम्बर–2 से 4, 8–11–13, 19 से 21, पत्थर नम्बर–217/294 ड्ड38य किला नम्बर–20 व पत्थर नम्बर–215/295 किला नम्बर–4 से 7 व 15 कुल 40 बीघा थी। यह भूमि निरन्तर वादी के कब्जा काश्त में चली आई है तथा रकमराज जमा करवाता आया है। वादी श्री अरजन सिहं ने यह भी कथन किया कि इस भूमि में से 27 बीघा भूमि को राजस्व कर्मचारियों ने कतई गलत व विधि विरूद्व रूप जगराम पुत्र श्री देवाराम व 4 बीघा भूमि देवीलाल व 9 बीघा भूमि अमरजीत सिहं के नाम गैरदाखिलकारी दर्ज कर दी जबकि 27 बीघा भूमि पर जगराम का कोई कब्जा नहीं रहा। यही नहीं अपितु जगराम नामक व्यक्ति सिलवालाकलां में आबाद भी नहीं रहा। इसी प्रकार देवीलाल व अमरजीत सिहं के कब्जा काश्त में यह भूमि कभी कब्जा काश्त में नहीं रही। अमरजीत सिहं तो इस संयुक्त खाता में सहबिश्वेदार था तथा सह–बिश्वेदार होने के नाते भी कानूनन गैर दाखिलकार दर्ज नहीं हो सकता था तथा उनके नाम दर्ज गैरदाखिलकारी की प्रविष्टि विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय थी। वादी स्व0 श्री अर्जन सिहं के यह भी कथन किया कि देवसी नाम व्यक्ति भी कभी गैरदाखिलकार नहीं रहा लेकिन उसने अमरजीत सिहं के साथ मिलीभगत व षड़यन्त्र रचकर प्रश्नगत भूमि में से पत्थर नम्बर–217/294 ड्ड38य के किला नम्बर–20 की 1 बीघा भूमि गैरदाखिलकारी नियमों के अन्तर्गत पुख्ता आंवटन करवा लिया। इस आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील संख्या–34/99 में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 13–05–2000 से यह आवंटन निरस्त हुआ। अमरजीत सिहं के पिता शेर सिहं पुत्र देवा सिहं इस खाता में 6 बीघा का ही बिश्वेदार था लेकिन उसने गलत रूप से 41 बीघा भूमि खातेदारी

दर्ज करवा व गलत रूप से 24 बीघा भूमि अन्तरित भी कर दी। यह कथन करते हुये वादी स्व0 श्री अरजन सिहं ने उक्त वर्णित 40 बीघा भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही। इस वादपत्र की लम्बित अवस्था में वादी अरजन सिहं का देहान्त होने पर नसीब कौर पक्षकार बनी तथा दौराने दावा दिनांक 29–06–2009 को वादिया नसीब कौर व अमरजीत सिहं के वारिस प्रतिवादीगण संख्या–2 व 3 के मध्य राजीनामा हुआ। इस राजीनामा में प्रश्नगत 40 बीघा भूमि में से 31 बीघा भूमि वादिया की खातेदारी घोषित किये जाने व 9 बीघा भूमि की सीमा तक वादिया ने अपना घोषणा का क्लेम वापिस लिये जाने में सहमति दी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24–08–2015 को इस वादपत्र का निर्णय करते हुये वादिया का वादपत्र खारिज करने के साथ–साथ जगराम पुत्र श्री देवाराम के नाम बतौर गैरदालिखकर चक 2 जीजीआर पत्थर नमबर–216/293 किला नम्बर–22, पत्थर नमबर–216/294 किला नम्बर–2 से 9, 12 से 19 व 22 से 25, पत्थर नम्बर–217/294 किला नम्बर–20, पत्थर नम्बर–216/295 किला नम्बर–2 से 4, 8, 13 कुल 6.381 हैक्टेयर भूमि को आराजीराज दर्ज करने व कब्जा बहक सरकार लिये जाने का आदेश पारित किया है। इस आदेश व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3 अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ की पत्रावली तलब की गई व दिनांक 07–09–2015 को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विती को स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं लेकिन इससे पूर्व ही अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विती में उक्त वर्णित 6,831 हैक्टेयर भूमि बहक सरकार ली जाकर इन्तकाल संख्या–476 दिनांक 04–09–2015 दर्ज किया जा चुका।

4 बहस उभयपक्ष गुणागुणों पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये यह तर्क दिया है कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट के पिता की दीगर बिश्वेदारों के साथ खसरा नम्बर–1 की 24 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर–3 की 96 बीघा 2 बिस्वा भूमि में अन्य बिश्वेदारों के साथ बिश्वेदारी हक व कब्जा काश्त था। अपीलांट की कब्जा काश्त की भूमि में से 27 बीघा भूमि गलत रूप से जगराम पुत्र श्री देवाराम के नाम गैर दाखिलकारी दर्ज कर दी गई थी जबकि जगराम पुत्र देवाराम नामक व्यक्ति ना तो इस भूमि पर कभी काबिज रहा व ना ही गांव सिलवाला में आबाद रहा। खसरा गिरदावरी 2012 से 2015 में यह भूमि बिश्वेदारों के कब्जा में रही है तथा इस भूमि में से 27 बीघा भूमि पर जगराम पुत्र श्री देवाराम का गैरदाखिलकार के रूप में कब्जा होना राज्य पक्ष ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली

संख्या—83/86 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि यह पत्रावली प्रश्नगत 27 बीघा भूमि के गैरदाखिलकारी नियमों के अन्तर्गत आंवटन हेतु दर्ज हुई थी। इस पत्रावली में आदेशिका दिनांक 26—08—86 में जगराम के इस गांव में आबाद नहीं होने व यह भूमि अन्य व्यक्तियों के कब्जा काश्त में होने का उल्लेख करते हुये जगराम के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हुये तथा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त की रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार टिब्बी ने दिनांक 30—03—2001 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये इस भूमि पर अरजन सिहं पुत्र श्री हरी सिहं की काश्त होनी बताई है तथा इन पश्चात्वर्ती रिपोर्ट दिनांक 22—07—2002 में जगराम पुत्र देवाराम का हल्का हाजा या तलवाड़ाझील में आबाद नहीं होने की रिपोर्ट की है। प्रश्नोंतरी में भी प्रश्नगत भूमि में सम्वत 2016 की गिरदावरी फ्टी हुई होने व इस भूमि पर सम्वत 2017 से निरन्तर केसर सिहं वगैरा मकबुजा मालकान का कब्जा होने की रिपोर्ट की है। इस प्रश्नोंतरी में भी जगराम नाम का कोई व्यक्ति हल्का हाजा में आबाद नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभावशील होने के समय यह भूमि अपीलांट के पूर्वजों के कब्जा काश्त में थी तथा उनकी खुदकाश्त की भूमि होने के कारण इस अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत वे स्वतः ही खातेदार हो चुके थे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन नियम के नियम 8 के अर्न्तगत कोई जांच नहीं की। जगराम पुत्रश्री देवाराम के नाम जो 27 बीघा भूमि पैमूद हुई व खसरा नम्बर—3 की हिस्सा था तथा खसरा नबर—3 की कुल 96 बीघा भूमि बिश्वेदारों के कब्जा में रही है व इस भूमि में से प्रश्नगत 40 बीघा भूमि अपीलांट व उसके पूर्वजों के निरन्तर कब्जा काश्त में रही है जो घटनाबंदी दिनांक 28—08—95 से भी साबित है। देवसी पुत्र श्री मोटा भी इस भूमि का खातेदार कभी नहीं रहा तथा उसके पक्ष में पत्थर नमबर—217/294 के किला नम्बर—20 की 1 बीघा भूमि का आंवटन भी अपील संख्या—34/99 में दिनांक 15—03—2003 को खारिज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने पहलुओं को भी नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्का के समर्थन मे न्यायदृष्टान्त आरआरडी 1972 पेज 326, आरआरडी 1988 पेज 420 व आरआरडी 2004 पेज 777 प्रस्तुत किये व अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5 विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या—2 से 11 ने अपीलांट के तर्कों का खण्डन करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया कि अरजन सिहं अथवा उसके पूर्वज सम्वत् 2016 में प्रश्नगत भूमि पर काबिज नहीं थे तथा उन्होंने सम्वत 2016 को इस भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने का तथ्य साबित

नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि में से 6 बीघा भूमि देवीलाल के नाम से गैरदाखिलकारी दर्ज चली आ रही है तथा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टान्त डीएनजे 2012 पेज 729, आरआरडी–1996 पेज 290 व आरआरडी 1990 पृष्ठ 640, आरआरडी 1993 पेज 489 प्रस्तुत किये एवं फार्म नं. 3 के साथ प्रति प्रश्नोतरी पटवारी खण्ड हल्का, फोटोप्रति प्रश्नोतरी खसरा सं. 1 व पर्चा खतौनी देवीलाल आदि प्रस्तुत की तथा अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6 विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत होना प्रकट करते हुये अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7 उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट के पूर्वजों की खसरा नम्बर–1 व खसरा नम्बर–3 की बिश्वेदारी भूमि थी। इस भूमि में से ही प्रश्नगत 27 बीघा भूमि जगराम पुत्र देवाराम के नाम गैरदाखिलकारी दर्ज हुई है। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रश्नोंतरी से यह साबित नहीं होता कि सम्वत 2016 में प्रश्नगत 27 बीघा भूमि जगराम पुत्र श्री देवाराम के कब्जा काश्त में बतौर गैरदाखिलकार कब्जा काश्त में हो। यह भी उल्लेखनीय है कि जगराम पुत्र श्री देवाराम ने इस भूमि को गैरदाखिलकारी नियमों के अन्तर्गत आवंटन करवाने हेतु भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। पत्रावली संख्या–83/86 में भी जगराम पुत्र श्री देवाराम के इस गावं आबाद नहीं होने व इस भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं होकर अरजन सिहं पुत्र श्री हरी सिहं का कब्जा होने की रिपोर्ट आई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से यह भूमि श्री ज्वाला सिहं पुत्र श्री बूड़ सिहं की बिश्वेदारी होना साबित है तथा न्यायदृष्टान्त आरआरडी 1988 पेज 420 के अनुसार भी जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत एक बिश्वेदार जिसकी खुदकाश्त है, वह खातेदार कृषक माना जायेगा चाहे उसका सुसंगत तिथि को कब्जा था या नहीं। गिरदावरी में मकबुजा मालकान का उल्लेख आया है। यदि जगराम पुत्र श्री देवाराम इस भूमि पर गैरदाखिलकार की हैसियत रखता तो निश्चित रूप से उसका इस भूमि पर शुरू से लेकर आज तक कब्जा रहता। जगराम पुत्र श्री देवाराम का इस भूमि पर व इस चक में आबाद व काबिज नहीं होने की रिपोर्ट तहसील से आई है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक अनुपस्थित एवं बेकाबिज व्यक्ति द्वारा गैरदाखिलकारी नियमों के अन्तर्गत 27 बीघा भूमि आवंटन नहीं करवाये जाने का आधार लेकर इस भूमि को आराजीराज दर्ज करने का आदेश दिया है जबकि इस भूमि पर अपीलांट के पूर्वज बहैसियत बिश्वेदार

खुदकाश्त काबिज चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेख में एक ऐसे व्यक्ति जो इस भूमि पर काबिज भी नहीं है, के नाम गैरदालिखकारी की प्रविष्टि हो जाने का आधार लेकर अपीलांट के वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों पर विचारयुक्त निष्कर्ष पारित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–08–2015 अपास्त किये जाने योग्य है।

8 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–08–2015 अपास्त किया जाता है तथा इस आदेश के अनुसार दर्ज नामान्तरण संख्या–476 दिनांक 04–09–2015 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा पत्रावली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वादी के वादपत्र में अंकित अभिकथनों के आधार पर विवाधक विरचित करते हुये व अभिलेखीय साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन कर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते विधिसम्मत आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष दिनांक 15–01–2018 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसला शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कुरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ